दिनांक 22/11/1999 को प्रातः 10:30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई योजना बोर्ड की बैठक का कार्यवृत-

उपस्थित सदस्य :

1.	प्रो. नीतीश कुमार सान्याल (कुलपति)	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. पन्त	सदस्य
3.	प्रो. यू.पी. सिंह	सदस्य
4.	प्रो. भीमसेन सारस्वत	सदस्य
5.	प्रो. टी. पति	सदस्य
6.	प्रो. अमर सिंह	सदस्य
7.	डॉ० (श्रीमती) नजमा अख्तर	सदस्य
8.	प्रो. वी.एस. प्रसाद (विशेष आमंत्रित)	सदस्य
9.	प्रो. के.एन. त्रिपाठी (विशेष आमंत्रित)	सदस्य
10.	श्री के.बी. लाल (कुलसचिव)	सचिव

1. बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 10/07/1999 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र "जुलाई से जून" के स्थान पर "जनवरी से दिसम्बर" किए जाने पर विचार किया।

   कुलपति महोदय द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः सभी शिक्षा संस्थाओं में अन्तिम प्रवेश सितम्बर-अक्टूबर तक होते हैं, ऐसी स्थिति में इस विश्वविद्यालय का सत्र यदि जनवरी से दिसम्बर रखा जाता है तो वे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से प्रवेश से वंचित हो जाते हैं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अवसर मिल सकेगा।

   बोर्ड ने विचारोपरान्त यह निश्चय किया कि इस विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र "जनवरी से दिसम्बर" किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जाए।

   बोर्ड ने यह भी संस्तुत किया कि अल्प-कालीन डिप्लोमा स्तर अथवा अन्य कार्यक्रमों को जुलाई से भी यदि आवश्यक हो चलाया जाए। इस सम्बन्ध में कुलपति को अधिकृत किया गया कि कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लें।

3. बोर्ड ने विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सम्पर्क/अध्ययन कार्यक्रम केन्द्रों के संचालन हेतु मानक बनाने पर विचार किया। निश्चय किया कि परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित मानक एवं मानदेय को स्वीकृत किया जाए तथा उनके अनुमोदनार्थ कार्यपरिषद को संस्तुत किया जाए।

4. बोर्ड ने बी.एड., एम.सी.ए., एम.बी.ए., बी.एस.सी., बी.एस.सी. (नर्सिंग) एवं अन्य नये पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र से प्रारम्भ किए जाने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया।

   निश्चय किया कि निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र से प्रारम्भ करने के निमित्त कार्यपरिषद को संस्तुत किया जाए, परन्तु जिन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली अथवा अन्य विहित निकायों की अनुमति वांछित हो, उन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए अनुज्ञा (clearance) प्राप्त कर ली जाए।

   (1) B.Ed.

   (2) M.C.A.

   (3) M.B.A.

   (4) B.Sc. (Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Life Sciences, Computer Science/ Computer Application, Micro-biology, Industrial Chemistry)

   (5) B.Sc. (Nursing)

   (6) Bachelor of Computing and e-Commerce

(7) Bachelor of Education

(8) Vocational Courses

(a) Diploma in Commercial Arts

(b) Diploma in Fashion Designing

(c) Diploma in Interior Designing

(d) Diploma in Textile Designing

(9) Diploma in Rural Development

(10) Diploma in International Marketing and International E-Business

(11) Basic Diploma in Computers (equivalent to 'O' Level of DOE)

(12) PGDCA

5. बोर्ड ने विभिन्न विषयों में परामर्शदाता के नियुक्ति की रीति एवं मानक तैयार करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया।

6. निश्चय किया कि विषय विशेष में consultant की नियुक्ति हेतु योग्य शिक्षकों का बायोडॉटा प्राप्त किया जाए तथा उसके परीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित समिति की संस्तुति के आधार पर परामर्शदाता की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा की जाए।

1. कुलपति - अध्यक्ष
2. कार्यपरिषद एवं योजनाबोर्ड के एक-एक सदस्य जो कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
3. दो विषय-विशेषज्ञ जिनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि विशेषज्ञ का बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोट :- प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग समिति गठित होगी।

बोर्ड ने यह भी निश्चय किया कि consultant तीन श्रेणी के नियुक्त किये जायेंगे -

वरिष्ठ परामर्शदाता (senior consultant)	- जो आचार्य पद की अहर्ता रखते हों या उस पद या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हों।
परामर्शदाता (consultant)	- जो उपाचार्य पर की अहर्ता रखते हों या उस पद या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हों।
कनिष्ठ परामर्शदाता (junior consultant)	- जो प्रवक्ता पद की अहर्ता रखते हों या उस पद या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हों।

आचार्य, उपाचार्य एवं प्रवक्ता के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने परिनियम के अनुसार ही शैक्षिक योग्यता मान्य होगी, जब तक कि विश्वविद्यालय के अपने परिनियम शासन द्वारा अधिसूचित नहीं होते हैं।

बोर्ड ने अधिकृत किया कि कुलपति विशेष परिस्थिति में अंशकालिक कनिष्ठ परामर्शदाता मुख्यालय अथवा आंचलिक केन्द्र पर नियुक्त कर सकते हैं लेकिन उनका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा और उनका मानदेय कार्यभार के अनुसार कुलपति निर्धारित करेंगे। कार्यकाल एक वर्ष से अधिक बढ़ाने की स्थिति में चयन समिति के माध्यम से कार्यपरिषद द्वारा नियुक्ति की जाएगी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुइ।

कुलसचिव

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सम्पर्क/ अध्ययन एवं कार्यक्रम केन्द्रों के संचालन हेतु मानक :-

दूरवर्ती शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत शिक्षार्थियों से सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से कुछ केन्द्र बनाने आवश्यक हैं चूँकि यह विश्वविद्यालय का प्रथम सत्र है बहुत स्थानों पर छात्रों की संख्या कम है। अतः शिक्षार्थियों से सम्पर्क बनाने के उद्देश्य से एवं पठन-पाठन सुव्यवस्थित करने के लिए 3 श्रेणी के केन्द्र बनाने की प्रस्तावित व्यवस्था को ध्यान में रखकर केन्द्रों का वर्गीकरण एवं पारिश्रमिक निम्नवत स्वीकार किया गया है।

(1) अध्ययन केन्द्र :

जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 250 या उससे अधिक हो।

(2) सम्पर्क केन्द्र :

जिनमें छात्रों की संख्या 250 से कम हो।

(3) कार्यक्रम केन्द्र :

वह केन्द्र जिनमें किसी एक या एक से अधिक केन्द्र पर विशेष वर्ग के अथवा विषय के अध्ययन की व्यवस्था हो।

(4) पारिश्रमिक :

(I) अध्ययन केन्द्र :- जिनमें 251-499 शिक्षार्थी हों।

मानदेय :-

(i) समन्वयक रु० 1000.00

(ii) सहायक समन्वयक रु० 700.00

(iii) अंशकालिक कार्यालय सहायक रु० 300.00

(iv) अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी (कार्यालय परिचर) रु० 200.00

(v) अंशकालिक स्वीपर रु० 150.00

500 से अधिक शिक्षार्थी होने पर और 750 तक एक सहायक समन्वयक और उससे संख्या अधिक होने पर दो सहायक समन्वयक होंगे। 1000 से अधिक शिक्षार्थी होने पर एक अध्ययन केन्द्र पर एक और सहायक समन्वयक होंगे और एक अतिरिक्त कार्यालय सहायक एवं अतिरिक्त परिचर होंगे।

(II) सम्पर्क केन्द्र :-

इन केन्द्रों के समन्वयक को अध्ययन केन्द्र के सहायक समन्वयक के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा किन्तु केन्द्र के संचालन का पूर्ण दायित्व उनका होगा। 100 से कम संख्या होने पर समूह "ग" और "घ" के कर्मचारी की संख्या एवं मानदेय कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(III) कार्यक्रम केन्द्र :-

इस कार्यक्रम केन्द्र के समन्वयक को मानदेय संख्या एवं कार्यभार के आधार पर देय होगा। इसमें समन्वयक 100 से कम शिक्षार्थी और दो ही कार्यक्रम होने पर रु० 250.00 मानदेय प्रति माह के दर से देय होगा और तीन या तीन से अधिक संख्या होने पर उन्हें सम्पर्क केन्द्र/ अध्ययन केन्द्र (जैसी संख्या हो) के समन्वयक के मानदेय के बराबर मानदेय देय होगा। समूह "ग" और "घ" के कर्मचारी अंशकालिक होंगे एवं उसका निर्धारण आवश्यकता को देखते हुए कुलपति करेंगे।

(IV) पारिश्रमिक :-

परामर्शदाताओं (consultants) को और अन्य शिक्षक, विशेषज्ञ जिनको कार्यक्रम में आमंत्रित किये जायेंगे।

(क) स्नातक स्तर के सभी कार्यक्रम एवं अन्य डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स रु० 100.00 प्रति घण्टे (कम्प्यूटर कोर्स के अतिरिक्त)। इसके अतिरिक्त रु० 25.00 प्रति दिन के दर से यात्रा व्यय भी देय होगा।

(ख) कम्प्यूटर के डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रु० 150.00 प्रति घण्टे के दर से मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त यात्रा व्यय रु० 25.00 प्रति दिन की दर से देय होगा।

(V) समन्वयक के कर्तव्य :-

(i) केन्द्र के शैक्षिक कार्यक्रम का सफल संचालन और सम्पर्क कक्षाओं का आयोजन।

(ii) केन्द्र के आय-व्यय का लेखा रखना और आय-व्यय का विवरण प्रति तीन माह अथवा उसके पूर्व विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना।

(iii) पुस्तकालय के पुस्तकों का विवरण परिग्रहण पंजिका एवं निर्गत पंजिका पर रखना और उसका अर्द्धवार्षिक विवरण विश्वविद्यालय को उपलबध कराना।

(iv) सत्रीय एवं सत्रान्त परीक्षा की व्यवस्था एवं संचालन।

(v) विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशों का अनुपालन।

(vi) शिक्षार्थियों के शैक्षिक क्रियाकलाप एवं छात्र कल्याण योजनाओं को सुव्यवस्थित करना।